डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2009)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 2009
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, सन् 2011
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, सन् 2014
उत्तर प्रदेष अधिनियम संख्या 42 सन् 2018

द्वारा संशोधित

[जैसा विधान मण्डल सत्र द्वारा पारित हुआ तथा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश विधेयक, 2009 पर दिनांक 18 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2009 को प्रकाशित किया गया।]

लखनऊ उत्तर प्रदेश में विकलांगजन के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन एवं उनसे सम्बन्धित आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये।

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह 19 सितम्बर, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में–

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य धारा 22 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 14 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ग) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(घ) "सामान्य परिषद" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद् से है;

(ङ) "छात्रावास" का तात्पर्य छात्रों के लिए आवास की इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त हो;

(च) "विहित" का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है ;

(छः) "कुल सचिव" का तात्पर्य धारा 29 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ज) "परिनियमावली" का तात्पर्य धारा 32 के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की परिनियमावली से है;

(झ) "प्रभारी सचिव" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित विभाग के यथास्थित, प्रमुख सचिव या सचिव से है;

(ञ) "राज्य के वरिष्ठ अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात किये गये उत्तर प्रदेश के राजकीय सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से है;

---

1. उद्देश्य और कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(ट) "अध्यापक" का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में, शिक्षण और अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन और संचालन के लिए नियोजित हो ;

[1] [(ठ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ से है।]

(ड) "कुलपति" का तात्पर्य धारा 27 के अतंर्गत नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है ;

(ढ) "कुलाध्यक्ष" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष जैसा कि धारा 7 में उल्लेख है ।

विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन

3–(1) ऐसे दिनांक से जैसा राज्य सरकार द्वारा नियत करे [2][डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ] के नाम से उत्तर प्रदेश राज्य में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा ।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय, लखनऊ में होगा ।

(4) इस धारा के अधीन स्थापित किये जाने वाले विश्वविद्यालय के संबंध में, ——

(क) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के अंतरिम अधिकारियों को नियुक्त करेगी और विश्वविद्यालय के अंतरिम प्राधिकरणों का ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे गठन करेगी;

(ख) खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी और गठित प्राधिकरणों के सदस्य खण्ड (ग) के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति या प्राधिकरणों का गठन होने तक या ऐसे अन्य पूर्वतर दिनांक तक जैसा राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, पद धारण करेंगे परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकरणों के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकती है ;

(ग) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा प्राधिकरणों के गठन के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगी कि खण्ड (ख) के अधीन अन्तरिम अधिकारियों तथा सदस्यों की अलग–अलग पदावधि की समाप्ति के पूर्व उसे पूरा किया जा सके ।

[3]**[3–क**—— डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रवृत्त होने के प्रभाव से, इस अधिनियम अथवा किसी नियमावली, परिनियम, अध्यादेशों, कानूनी लिखतों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी दस्तावेज अथवा कार्यवाही में डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) अथवा उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2014 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2014 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2014 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित तथा उ0प्र0 अधिनियम सं0 24, 2011 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

विश्वविद्यालय (लखनऊ) के लिए किया गया कोई भी संदर्भ डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए किया गया संदर्भ समझा जायेगा।][1]

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

4–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगेः–

(क) पारम्परिक शिक्षा पद्धति एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पाठ्यक्रम में अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंन्दिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी/तकनीकियाँ, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक एवं श्रवण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) भ्रान्ति रोग (आटिजम) अव्यवस्थित पुंज (स्पेकट्रम डिसआर्डर) पुनर्वासन थेरेपी, व्यवसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) पारम्परिक शिक्षा पद्धति एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकलांगता एवं उससे संबंधित विषयों पर जानकारी एवं ज्ञान का संवर्धन एवं विस्तार करना;

(ग) विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों में विकलांगता के क्षेत्र में समाज की सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना जिसके लिए उनमें विशेष शिक्षा, व्यवसायिक एवं पारम्परिक शिक्षा के कौशल का विकास करना;

(घ) विकलांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य विद्यार्थियों के साथ वाधारहित वातावरण में उच्च शिक्षा प्रदान करना;

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियाँ और अन्य शैक्षिक विशिष्टियाँ प्रदान करना; और

(च) ऐसे सभी अन्य कार्य करना जो संस्था के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक आवश्यक या साधक हों।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य

5–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे–

(एक) अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(दो) [2][राज्य के ऐसे महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संबद्ध करना, जो चिकित्सा तथा समवर्ती विज्ञानों में अध्यापन एवं परीक्षण प्रदान करने वाले महाविद्यालय तथा संस्थायें न हों] ज्ञान की नैत्यिक शाखाओं के अतिरिक्त भारतीय पुनर्वास परिषद के मानकों के अनुसार विशेष शिक्षा देते है, जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, परीक्षाएँ लेते है और उपाधियाँ प्रदान करते है और ऐसी शर्तों पर, जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं प्रदान करते है। उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन पर संबद्धता वापस ली जा सकती है;

(तीन) विकलांगता से संबंधित ज्ञान या अध्ययन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा विकलांगता संबंधी ज्ञान के अभिवर्धन तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2014 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 42, 2018 की अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित।

(चार) विकलांगता तथा सामाजिक विकास के सभी पहलुओं में अनुसंधान प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(पाँच) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएं विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(छः) निवेश–बाह्य अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व लेना;

(सात) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्हीं ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण –पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(आठ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना,

(नौ) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(दस) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख–रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लोना;

(ग्यारह) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए व्यस्था करना;

(बारह) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(तेरह) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें ;

(पन्द्रह) आचार्य पद, उपाचार्य पद, सहायक आचार्य पद के पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षिक या अनुसंधान पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना;

(सोलह) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और अनुसंधानविदों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(सत्रह) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(अट्ठारह) अनुसंधान और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपि और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना;

(उन्नीस) विकलांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में तय किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, सहकार करना;

(बीस) अध्यापकों और विद्वानों के आदान–प्रदान और सामान्यतः ऐसी रीति

से जो सामान्य उद्देश्यों के लिए साधक हों, विषय के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना;

(इक्कीस) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखों का प्रबन्ध करना;

(बाइस) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख–रखाव करना जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज–सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और अध्ययन कक्षों की स्थापना और उनका रख–रखाव करना जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों।

(तेइस) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(चौबीस) किसी ऐसी भूमि, भवन या संकर्म को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिसे वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या निर्मिती का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख–रखाव करना;

(पच्चीस) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके किसी भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर विक्रय करना, आदान–प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा व्ययन करनाः

परन्तु जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया है, वहाँ राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा;

(छब्बीस) भारत सरकार के और अन्य वचन–पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांक्ति करना, मिति काटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना;

(सत्ताइस) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी है, हस्तान्तरण पत्र, अन्तरण, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सी और करारों का निष्पादन करना;

(अठ्ठाइस) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना;

(उन्तीस) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना;

(तीस) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों, या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियाँ पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूत के और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से

समस्त व्ययों का, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना ;

(इकतीस) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, का विनिधान करना और समय–समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना ;

(बत्तीस) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, जैसे पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान की स्थापना करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द और छात्रों के लिए लाभप्रद हों ;

(तैंतीस) ऐसे सभी अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

विश्वविद्यालय में अध्यापन

6–(1) विश्वविद्यालय की उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त अध्यापन विश्वविद्यालय के अध्यापकों द्वारा सामान्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन यथा विहित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित किये जायेंगे।

(2) पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और ऐसा अध्यापन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय कुलाध्यक्ष

7–(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दें, विश्वविद्यालय उसके भवन, पुस्तकालय तथा उपस्कर और विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था एवं विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराई गई परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी विषय के संबंध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जाँच कराये जाने के अपने आशय के संबंध में विश्वविद्यालय को सूचना देगा और विश्वविद्यालय एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जाँच में उपस्थित होने अथवा सुने जाने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के संबंध में कुलपति को लिख सकेगा और कुलपति कुलाध्यक्ष के विचारों एवं साथ में ऐसी सलाह के बारे में, जो कुलाध्यक्ष ने उस पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में प्रदान की हो, सामान्य परिषद को सूचित करेगा।

(5) सामान्य परिषद ऐसे निरीक्षण या जाँच पर स्वयं द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही या की गई कार्यवाही, यदि कोई हो, के संबंध में कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को संसूचित करेगी।

8–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे :– **विश्वविद्यालय के प्राधिकरण**

एक–सामान्य परिषद;

दो–कार्यपरिषद;

तीन–विद्या परिषद;

चार–वित्त समिति : और

पाँच–ऐसे अन्य प्राधिकारी जो विहित किये जायें।

9–(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:– **सामान्य परिषद**

एक– पदेन सदस्य

1–मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश;

2–मंत्री विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

3–अध्यक्ष, डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ;

4–सचिव, विकलांग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

5–सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

6–सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

7–सचिव, व्यवसायिक प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

8–सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश सरकार;

9–आयुक्त, विकलांग जन, उत्तर प्रदेश सरकार;

10– विश्वविद्यालय का कुलपति;

11–निदेशक, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती;

12–निदेशक, राष्ट्रीय श्रवणबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती;

13–निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक मन्दितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती;

14–निदेशक, राष्ट्रीय अस्थिबाधितार्थ संस्थान, भारत सरकार अथवा उनका नाम निर्देशिती;

15–अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद अथवा उनका नाम निर्देशिती।

दो– नामनिर्दिष्ट सदस्य

16–उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

17–विकलांगता के क्षेत्र में कार्य कर चुके या कार्यरत 04 प्रख्यात व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;

18–अध्यक्ष, सामान्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रख्यात व्यक्ति।

(2) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा और विश्वविद्यालय का कुलपति सामान्य परिषद का सचिव होगा।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

10–(1) सामान्य परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अधीन होते हुए दो वर्ष होगी।

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा सदस्य नही रह जायेगा। यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा वापस ले लिया जाय।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विष्ट हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य संस्था में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो वह सदस्य नहीं रह जायेगा।

(4) सामान्य परिषद का कोई सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित एक पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति, ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता ।

सामान्य परिषद की शक्तियाँ

11–सामान्य परिषद् की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :––

एक–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम की संस्तुति करना ;

दो–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 5 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियां विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकोरी को प्रदान की गयी हो ;

तीन–विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना ;

चार–वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायें ;

पाँच–अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना ; और

छः–ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझें।

सामान्य परिषद के अधिवेशन

12–(1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और उसके अधिवेशनों के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की सूचना प्रदान की जायेगी।

(2) सामान्य परिषद का अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी अधिवेशन की गणपूर्ति की जायेगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा आत्यायिक स्वरूप का कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार की गयी कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और कागज–पत्रों को सामान्य परिषद के आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकलापों की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन–पत्र और वित्तीय प्राक्कलन कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

13–(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों पर नियंत्रण और प्रशासन रखेगी।

कार्य परिषद का गठन

14–(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

एक– कुलपति;

दो– सामान्य परिषद् के तीन सदस्य, जो सामान्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

तीन– निदेशक विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार;

चार– निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

पाँच– विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

छः– कुलाध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन प्रख्यात शिक्षाविद;

सात–सामाजिक ख्याति प्राप्त तीन व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होंगे;

आठ–महासचिव या सचिव डा0 शकुन्तला मिश्रा स्मृति सेवा संस्थान, लखनऊ;

नौ–ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य।

(2) कुलपति कार्य परिषद का अध्यक्ष होगा और कुल सचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्य परिषद की पदावधि

15–(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्य परिषद का सदस्य हो वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्य परिषद का कोई सदस्य उसका सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि वह त्याग–पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोषसिद्ध ठहरा दिया जाय, यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्य परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे ।

(3) जब तक उपर्युक्त उपधाराओं के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद की उसकी सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के सदस्य स्वयं द्वारा कार्य परिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, परन्तु वे, यथास्थिति पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग–पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा ।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्रधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति, या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगी ।

कार्य परिषद की शक्तियां और कृत्य

16–धारा 12 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :–

(एक) विद्या परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्त्तव्यों को अवधारित करना,

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की सिफारिश पर आचार्यो, उपाचार्यो, प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द, पुस्तकालयाध्यक्ष

के ऐसे अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना जो आवश्यक हो ;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारण करना ;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखों, विनिवेश, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना ;

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिधान करना और समय–समय पर ऐसे विनिवेश में परिवर्तन करना ;

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना, परन्तु कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी ;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे ;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश व्यथित अनुभव करें, कि किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय निर्णयन करना और उन्हें दूर करना ;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों और परिसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना ;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्ध को विनियमित करने के लिए समय–समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना ;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना ; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्य का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जायें ।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

17–(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में तथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन

जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है ।

(2) कार्यपरिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में न्यूनतम पचास प्रतिशत स्थान विकलांगजन के लिए आरक्षित करेगी, जिसमें से पचास प्रतिशत स्थान दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु आरक्षित होंगे।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या गैर–अध्यापन कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद के अधिवेशन

18–(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी और ऐसे अधिवेशन के लिए उसके सदस्यों को पन्द्रह दिन से अन्यून की नोटिस दी जायेगी ।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति का गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

19–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अधीन रहते हुए कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जाँच उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसे स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है, और उन्हें कार्य परिषद के अधिवेशनों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद

20–विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, प्रशिक्षण और परीक्षा के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जैसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समनुदेशित हो। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद का गठन

21–(1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :––

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात सार्वजनिक व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(तीन) निदेशक, विकलांग कल्याण विभाग उ0 प्र0 सरकार या उनके नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक से निम्न स्तर का न हो ;

(चार) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष ;

(पांच) विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य, यदि कोई हों ;

(छः) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक–एक सदस्य विश्वविद्यालय के उपाचार्य और प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण से विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी, जब वह उस पद या नियुक्ति पर न रह जाय।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य नहीं रह जायेगा यदि वह त्याग–पत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार अधिवेशनों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनाँक से जिस पर वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नाम–निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग–पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम–निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

22–इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विद्या परिषद को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात ;

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना ;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिशें करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें निश्चित करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने–अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप–विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत अनुसंधान का संवर्द्धन करना और ऐसे अनुसंधान पर समय–समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए सन्नियम बनाना और समितियाँ नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन होते हुए अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियम करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ और यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को सिफारिश करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनाँक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में सिफारिश करना;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(तेरह) विहित या सिफारिश की गयी पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना जो परिनियमावली द्वारा समय–समय पर विहित किये जाते है; और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का पालन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद के अधिवेशन

23–(1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु दो बार से अन्यून हो, अधिवेशन करेगी।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के तिहाई से विद्या परिषद के किसी अधिवेशन की गणपूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

24–(1) विश्वविद्यालय की एक वित्त समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः– **वित्त समिति**

(एक) कुलपति;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(पाँच) उत्तर प्रदेश सरकार के विकलांग कल्याण विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो,

(छः) उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग का प्रभारी सचिव या उसका नाम निर्देशिती जो उपनिदेशक की श्रेणी से निम्न पंक्ति का न हो;

(सात) कुल सचिव;

(आठ) वित्त अधिकारी–सदस्य सचिव।

(2) वित्त समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थातः–

(एक) एक विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण और उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों की सिफारिश करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से सिफारिशें करना;

(तीन) कार्य परिषद को सिफारिशें करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय–समय पर विश्वविद्यालय के वित्त का अवलोकन करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा पर या कार्य परिषद या कुलपति के निर्देश पर विश्वविद्यालय

प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्यपरिषद को अपना विचार देना और सिफारिश करना।

(4) वित्त समिति प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार अधिवेशन करेगी। वित्त समिति के चार सदस्यों से गणपूर्ति होगी। परन्तु सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार अथवा उसका नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि (जो उपनिदेशक की श्रेणी से अनिम्न हो) के बिना कोरम पूरा नहीं होगा।

(5) कुलपति वित्त समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति को निर्वाचित करेंगे।

(6) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सिफारिश न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी सहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की सिफारिशों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

चयन समिति

25–(1) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद से सिफारिश करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी।

(2) क–चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः–

(एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के सभी अध्यापन पदों और गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के सभी गैर अध्यापन पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद जिसके लिए चयन किया जाना हो के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किये गये और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञः

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो, तो कुलसचिव समय–समय पर यथा संशोधित समूह 'ग' पद के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती नियमावली, 2002 (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

26–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थातः

(एक) कुलपति;

(दो) कुल सचिव;

(तीन) वित्त अधिकारी;

(चार) ऐसे अन्य अधिकारी जो विहित किये जायें।

कुलपति

27–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कुलाध्यक्ष को भेजें जायें :

परन्तु यह कि प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातः—

(एक) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य।

(दो) सामान्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य।

(तीन) कार्य परिषद द्वारा नामित एक सदस्य।

(3) उपधारा (4) के अधीन पदावधि की समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनाँक से यथावश्यक कम से कम 6 माह पूर्व और जब कभी भी कुलाध्यक्ष द्वारा अपेक्षा की जाय और ऐसे दिनाँक के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाध्यक्ष को कम से कम तीन और पाँच से अनधिक व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी, जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हों।

(4) समिति कुलाध्यक्ष को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षिक अर्हताओं तथा अन्य विशिष्टताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमानी क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(5) कुलपति अपने पद ग्रहण के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि तक जिसे सामान्य सभा की संस्तुति पर कुलाध्यक्ष द्वारा दो वर्ष की अग्रतर अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, पद धारण करेगा। परन्तु यह कि पहले कुलपति के कार्यकाल का विस्तार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जायेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जाय।

(7) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग–पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो सामान्य परिषद का अध्यक्ष किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर छः माह की अनधिक के लिये नियुक्त कर सकता है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है, या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आदेश द्वारा कुलपति को हटाने की संस्तुति कुलाध्यक्ष को कर सकती है। कुलाध्यक्ष कुलपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (8) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे यह परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (5) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कुलपति ––

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित पालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियाँ होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद के अधिवेशनों को बुलायेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हो;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियाँ होंगी।

(12) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की अपेक्षा हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकरण को जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, अगले अधिवेशन में पुष्टि के लिय सूचित करेगा।

28–(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक विभाग के लिये एक विभागाध्यक्ष होगा। विभागाध्यक्षगण

(2) विभागाध्यक्षों की शक्तियाँ, कृत्य, नियुक्तियाँ और सेवा शर्तें वही होंगी जैसा विहित किया जाये।

29–(1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा करेगी और उसके वेतन और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी–

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा–विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर, कार्यपरिषद के वित्त के मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में बोलेगा और उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय की अनुमति करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ड) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छः) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श माँगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखों का अनुरक्षण करेगा;

(ण) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों की पंजियाँ अद्यतन अनुरक्षित रखी जाती है और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनाधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों के संबंध में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसके कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें।

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि कुलपति उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँचे ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

कुलसचिव

30–(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे विकलांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उच्च शैक्षिक अर्हता रखता हो।

(2) कुलसचिव कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिव :–

(एक) कार्य परिषद और कुलपति के निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(दो) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके भारसाधन में सुपुर्द करें;

(तीन) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति का अधिवेशन बुलाने वाली समस्त नोटिसों को जारी करेगा;

(चार) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति के समस्त अधिवेशनों का कार्यवृत्त रखेगा;

(पाँच) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(छः) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की यथाशक्य शीघ्र जारी कार्यसूची और अधिवेशन आयोजित होने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों के अधिवेशनों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाध्यक्ष को उपलब्ध करोयगा।

(सात) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल अधिवेशन बुलाएगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसके निर्देश लेगा;

(आठ) विश्वविद्यालय द्वारा उसके विरूद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(नौ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए कुलपति के प्रति सीधे उत्तरदायी होगा;

(दस) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय–समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियाँ, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कुलपति उचित समझे।

अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी

31–(1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान की प्रेरणा पर परिनियमों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

परिनियमावली कैसे बनायी जाये

[1]**[32**–(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा बनायी जाएगी।

(2) कार्यपरिषद नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली को संशोधित या निरसित कर सकती है।

(3) कार्यपरिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्ति या उसके गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी जब तक ऐसे प्राधिकरण को उक्त प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या परिनियमावली में परिवर्धन या किसी परिनियमावली में कोई संशोधन या निरसन अनुमोदन हेतु सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(5) कार्यपरिषद द्वारा पारित परिनियमावली कार्यपरिषद द्वारा उसको अनुमोदित किये जाने के दिनांक से या ऐसे पश्चात्वर्ती दिनांक से जैसा सामान्य परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रभावी होगी।

(6) विद्या परिषद को किसी शैक्षणिक मामले पर परिनियम प्रस्तावित करने की शक्ति होगी।

(7) जहां कार्यपरिषद ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी परिनियम के प्रारूप को अस्वीकार कर दिया हो, वहां विद्या परिषद कुलाध्यक्ष को अपील कर सकती है जो आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि प्रस्तावित परिनियम को सामान्य परिषद के अगले अधिवेशन के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए रखा जाये और यह कि सामान्य परिषद के ऐसे अनुमोदन के लम्बित रहते तक यह ऐसे दिनांक से प्रभावी होगा जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायेः

परन्तु यदि परिनियम का अनुमोदन सामान्य परिषद द्वारा ऐसे अधिवेशन में नहीं किया जाता है तो यह प्रभावी नहीं रह जायेगा।

(8) कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये समस्त परिनियम सामान्य परिषद के समक्ष उसके अगले अधिवेशन में रखे जायेंगे और सामान्य परिषद को कार्यपरिषद द्वारा बनाये गये किसी परिनियम को संशोधित करने या उसे रद्द करने की शक्ति होगी।]

विश्वविद्यालय की निधि

33–(1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जायेंगे :–

(क) राज्य सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया कोई अंशदान या अनुदान

(ग) निजी व्यक्तियों या संस्थाओ द्वारा दी गयी कोई वसीयत, दान, विन्यास या अन्य अनुदान

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय, और

(ङ) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि, किन्तु उसमें किसी अभिकरण से प्राप्त ऐसी कोई निधि सम्मिलित नही होगी, जो किसी योजना के लिए प्रायोजित की गयी हो ।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 2009 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) विश्वविद्यालय की निधि की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1934) में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5 सन् 1970) या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 40 सन 1980) के अधीन गठित किसी तत्समान नये बैंक में रखी जायेगी या उसे भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधानित किया जा सकता है, जैसा कार्य परिषद द्वारा विनिश्चिय किया जायें ।

(3) विश्वविद्यालय की निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजन के लिए और ऐसी रीति से किया जा सकता है, जैसा विहित किया जाए।

वार्षिक लेखा रिपोर्ट और संपरीक्षा

34–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा ।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासंपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी ।

(3) लेखों की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखों की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा ।

(4) सामान्य परिषद् द्वारा अपने वार्षिक अधिवेशन में वार्षिक लेखों पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाई कर सकती है जैसी वह उचित समझे । कार्य परिषद् सामान्य परिषद को उसके अगले अधिवेशन में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों का कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वित्तीय प्राक्कलन

35–(1) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहां बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुये व्यय उपगत कर सकती है जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ सामान्य परिषद को उसके अगले अधिवेशन में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी ।

अधिभार

36–(1) धारा–26 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो ।

(2) अभिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरूपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

संविदाओं का निष्पादन

37–विश्वविद्यालय के प्रबन्ध और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेंगी जैसी कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का

मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा और जब इसका मूल्य दस लाख रूपयें से अधिक न हो तो कुल सचिव द्वारा किया जायेगा ।

38–विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियाँ और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी। **विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि, डिप्लोमा आदि प्रदान करना**

39–यदि विद्या परिषद के दो तिहाई से अन्यून सदस्य संस्तुति करते है कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण से ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है कोई मानक उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है । **मानद उपाधि**

40–(1) सामान्य परिषद कार्यपरिषद की संस्तुति पर सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और अधिवेशन में उपस्थित और मत देने वालें सामान्य परिषद के दो तिहाई से अन्यून सदस्यो के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्टियाँ उपाधि, डिप्लोमा व विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो । **उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना**

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाए ;

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा लिये गये निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाध्यक्ष को ऐसे संकल्प के प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगा।

41–राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है। **सम्पत्ति का अन्तरण**

42–(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा। **अनुशासन**

(2) उपखण्ड (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या संस्था या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा :

''परन्तु ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा'' ।

43–(1) इस अधिनियम और परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्याय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अभिकरणों से निधियाँ प्राप्त करें तोः– **प्रायोजित योजनायें**

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारी वर्ग की भर्ती प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबन्धन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

44–(1) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य परिषद कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही केवल इन कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी कि :– **रिक्तियों द्वारा अविधिमान्य न की गयी प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाही**

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम–निर्देशिन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी व्यक्ति पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा :

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

45–यदि विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के प्रथम अधिवेशन के संबंध में या अन्यथा इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन किये जाने से पूर्व किसी समय, आदेश द्वारा कोई नियुक्ति कर सकती है, या जहाँ तक हो सके, इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों से संगत कोई बात कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो और ऐसा प्रत्येक आदेश प्रभावी होगा मानों नियुक्ति या कार्रवाई इस अधिनियम और परिनियमावली में उपबन्धित रीति से की गयी होः **कठिनाइयों का दूर किया जाना**

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व राज्य सरकार विश्वविद्यालय के कुलपति और ऐसे समुचित प्राधिकरण जैसा गठित किया गया हो कि इस निमित्त रिपोर्ट पर यदि कोई हो, का अभिनिश्चय करेगी और उस पर विचार करेगीः

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक से तीन वर्षों के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

46–इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के हेतु हुए भी, कुलपति, सामान्य परिषद के अध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से और निधियों **अस्थायी उपबन्ध**

की उपलब्धता के होते हुए इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, या किन्हीं कर्तव्यों का पालन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा तब तक इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकारी इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

47–विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाइयाँ, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेगी और कोई क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी परिनियमावली के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्पर्यित हो।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव

48–इस अधिनियम और किसी परिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि द्वारा प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

निरसन और अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 5 सन् 2008

49–(1) डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 5 सन् 2008) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवार समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

द परसन्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल ऑपार्टुनिटीज एण्ड फुल पार्टीसिपेशन, प्रोटेक्शन आफ राइट्स) ऐक्ट, 1995 की धारा 26 और 27, अठारह वर्ष तक की आयु के सभी विकलांग बच्चों को निर्बाध वातावरण में सुगम्य शिक्षा सुनिश्चित करती है। उक्त अधिनियम की धारा 48 विकलांगता के नवोन्मेषी कारणों के लिए विश्वविद्यालयों में शोध और विकास की व्यवस्था करती है। साथ ही साथ, उक्त अधिनियम की धारा 49 दूरस्थ प्रणाली के मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से विकलांग बच्चों को उच्चतर शिक्षा सुकर बनाने की भी व्यवस्था करती है। यद्यपि उत्तर प्रदेश में अनेक महाविद्यालय और विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा दे रहे थे, किन्तु ऐसी संस्थाओं का अभाव था जो विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। इसके साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि विकलांग बच्चे अपनी शारीरिक और सामाजिक समस्याओं के कारण सामान्य छात्रों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं और कभी–कभी वे उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। उच्चतर शिक्षा की ओर अग्रसर विकलांग बच्चों की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने हेतु विधि बनाने का विनिश्चय किया गया था जो विकलांग बच्चों को उनके अनुरूप सुगम्य और निर्बाध वातावरण में उच्चतर शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट केन्द्र होगा। यह भी विनिश्चय किया गया था कि सभी पाठ्यक्रमों में विकलांग बच्चों के लिए 50 प्रतिशत से अन्यून स्थान आरक्षित किये जायें, जिनमें से दृष्टिहीन छात्रों के लिए ही 50 प्रतिशत आरक्षित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय विकलांग छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के अनुकूल रोजगार परक व्यवसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों को भी सुकर और उन्नत करेगा ताकि उनका सामाजिक, शैक्षिक व आर्थिक पुनर्वास सुनिश्चित हो सके।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चयों को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतएव, राज्यपाल द्वारा डा0 शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2008) 29 अगस्त, 2008 को प्रख्यापित किया गया।

तदन्तर मुख्यतः विश्वविद्यालय के नाम को परिवर्तित करने के साथ–साथ प्रतिस्थानी विधेयक के संक्षिप्त नाम को परिवर्तित करने, कतिपय महाविद्यालयों और संस्थानों को संबद्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को सशक्त करने और कुलपति पदावधि की तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष करने और कुलपति की पदावधि को दो वर्ष की अवधि के लिए विस्तार करने का उपबन्ध करने के लिए भी पूर्वोत्तर अध्यादेश के उपबन्धों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पूर्वोक्त संशोधनों सहित पुरःस्थापित किया जाता है।